

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क्र०363 / 13 अ०फौ०

- 1- रामवीरसिंह उम्र 29 वर्ष
- 2- निहालसिंह उम्र 34 वर्ष
पुत्रगण हनुमंतसिंह
- 3- हनुमंतसिंह पुत्र लोटनसिंह उम्र 54 वर्ष
समस्त जाति राजपूत ठाकुर निवासीगण
ग्राम गुरयायची पुलिस थाना मौ जिला
भिण्ड मध्यप्रदेश.....अपीलार्थीगण
बनाम
- 1- पुलिस थाना मौ प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि०
प्रत्यर्थी राज्य की और से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

// निर्णय //

(आज दिनांक को घोषित किया गया)

1- अपीलार्थीगण की और से प्रस्तुत दण्डिक अपील का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थीगण ने जे०एम०एफ०सी० गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 382/09 इ०फौ० में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 8-8-13 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गई है । जिसमें कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को धारा 294, 323 भा०द०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा 294 द०प्र०सं० के तहत 200/- रुपये तथा धारा 323 भा०द०सं० के तहत एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है ।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 27-3-09 को दोपहर के करीब 3 बजे फरियादी लालूसिंह अपने चचेरे भाई कोमल के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर बातें कर रहा था तभी उसके पड़ोस में रहने वाला रामवीरसिंह एक दुनाली बंदूक विना लाईसेंस के और उसका साथी आरोपी हनुमंतसिंह एवं निहालसिंह लाठी लिये हुये एकराय होकर फरियादी के दरवाजे पर आकर गाली गलौच करने लगे और मादरचोद की गालियां देते हुये यह कहने लगे कि तुम्हारा

बाप कहां है आज उसे निपटाना है । फरियादी के द्वारा यह कहे जाने पर कि घर पर नहीं है । रामवीर ने लात घूसों से उसकी मारपीट की । फरियादी के चिल्लाने पर कोमलसिंह व अजमेरसिंह आ गये उन्होंने बीच बचाव किया आरोपी यह कहते हुये गाली गलौच करते हुये चले गये कि बंदूक से खत्म कर देंगे । उपरोक्त घटना दिनांक को फरियादी का पिता घर पर ना होने से फरियादी द्वारा दूसरे दिन घटना के संबंध में लिखित आवेदनपत्र पुलिस आरक्षी केन्द्र मौ में प्रस्तुत किया गया जिस पर अपराध क्रमांक 67/09 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान दिनांक 30-3-09 को घटना स्थल का नक्शामौका प्र०पी०-3 बनाया गया । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । आरोपीगण की गिरफ्तारी की गई । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

3— अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 294, 323, 506भाग-2 भा०द०सं० का आरोप लगाया जाकर पढकर सुनाये व समझाया गया । आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई ।

4— अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्ष्य, बचाव साक्ष्य अंतिम तर्क सुने जाकर आरोपीगण को धारा 506भाग-2 भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया गया जब कि धारा 294, 323/34 भा०द०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुये आरोपीगण को कंडिका-1 में दर्शाये गये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया ।

5— अपीलार्थीगण के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि एवं विधान के विपरीत है झूठी घटनाक्रम की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र साक्षियों के कथन के बिना अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया गया है । प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है और मनमाने तौर से निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया गया है । साक्षियों के विरोधाभासी कथनों एवं स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य के बिना ही प्रकरण को प्रमाणित मानते हुये आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराया जाकर दण्डित किया गया है । ऐसी दशा में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश दिनांक 8-8-13 को अपास्त करते हुये आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6— राज्य की और से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को उचित रूप से होना बताते हुये उसमें किसीप्रकार का हस्तक्षेप करने तथा फेरबदल करने का कोई आधार ना होने से

अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

7— अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि:-

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 8-8-13 विधि विधान के विपरीत होने से अपास्त करते हुये अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार:-:

8— घटना के फरियादी लालू आ०सा०-1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुये यह बताया है कि लगभग साढ़े तीन साल पहले दोपहर के करीब 3 बजे की बात है । वह अपने द्वार पर बैठा था । उसके साथ उसका चाचा कोमल थे और चाचा अजमेर वहीं बैठा था तभी आरोपी रामवीर बारह वोर की बंदूक आरोपी निहालसिंह व हनुमंतसिंह लाठियां लिये हुये आ गये । आरोपीगण उसे उसके दरवाजे के सामने चौपाल पर चढ़कर मादरचोद वहनचोद की गालियां देने लगे जो कि गालियां सुनने में वुरी लगी । आरोपीगण उससे यह बोले कि तेरा बाप कहाँ है उसने कहा कि बाहर गये हुये हैं, तो तीनों आरोपीगण एकदम से उसे लात घूसों से मारपीट करने लगे । कोमल व अजमेर ने बीच बचाव किया था । घटना दिनांक को उसके पिता घर में नहीं थे वह बाहर गये हुये थे पिताजी रात को आये थे दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट करने गये थे । थाने में घटना की लेखीय आवेदनपत्र दिया था जो प्र०पी०-1 है । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका बनाया था नक्शामौका प्र०पी०-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

9— घटना के फरियादी/आहत लालू आ०सा०-1 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहां तक प्रश्न है । प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि चुनाव में लड़ाई हुई थी । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चुनाव की रंजिश के कारण झगडा हुआ । प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है ऐसी दशा में यदि साक्षी के द्वारा इस बात को प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया जा रहा है कि चुनाव की रंजिश आरोपीगण से चली आ रही है । मात्र इस आधार पर आरोपीगण को मिथ्या लिप्त किया जा रहा हो ऐसा मानने का आधार नहीं है । निश्चित तौर से रंजिश ऐसा तथ्य है जो कि घटना कारित करने के लिये प्रेरित भी कर सकता है । रंजिश के कारण फरियादी के द्वारा आरोपीगण को झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है । प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में साक्षी के द्वारा यह बताया गया

है कि तीनों आरोपीगण ने लात घूसों से मारपीट की यद्यपि फरियादी के द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पुलिस को दिये गये कथन प्र०डी०-1 में आरोपी रामवीर के द्वारा लात घूसों से मारपीट करने की बात का उल्लेख आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि फरियादी के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके द्वारा धारा 161 द०प्र०सं० के कथन तथा न्यायालय में हुये कथन में इस विन्दु पर एकरूपता नहीं है । उक्त तथ्य के आधार पर साक्षी का संपूर्ण कथन अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता । घटना स्थल पर घटना के समय तीनों ही आरोपीगण के आ जाने और उनके द्वारा फरियादी को गाली गलौच करने व लात घूसों से मारपीट करने का तथ्य उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत अखंडनीय रहा है ।

10- उपरोक्त संबंध में फरियादी के द्वारा किये गये कथन का समर्थन अभियोजन साक्षी कोमल आ०सा०-2 तथा साक्षी अजमेरसिंह आ०सा०-6 के कथनों से होता है । साक्षी कोमल आ०सा०-2 के द्वारा भी घटना के समय घटना स्थल पर तीनों आरोपीगण के आ जाने तथा उनके द्वारा फरियादी को मादरचोद की गालियां देने और आरोपी रामवीर के द्वारा लालू को लात घूसों से मारने तथा निहाल व हनुमंत के द्वारा यह कहा जाना कि इनको और मारों साक्षी के द्वारा अभिकथित किया गया है । इसी प्रकार साक्षी अजमेरसिंह आ०सा०-6 के द्वारा भी तीनों आरोपीगण के घटना के समय घटना स्थल पर आने आरोपी रामवीर दुनाली बंदूक तथा हनुमंत व निहालसिंह लाठी लिये आने और आरोपी रामवीर के द्वारा लात घूसों से लालू को मारपीट करने के संबंध में बताया है । उक्त दोनों ही साक्षी जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है उनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों का जहां तक प्रश्न है साक्षी कोमल आ०सा०-2 ने इस बात को स्वीकार किया है कि झगडा चुनावी रंजिश से हुआ था जो कि इस संबंध में पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है इसका घटना का कारण चुनावी रंजिश प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उल्लेख हैं ।

11- घटना के समय साक्षी कोमल के घटना स्थल पर मौजूद होने का जहां तक प्रश्न है इस संबंध में साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया गया है कि घटना के समय वह और अजमेर घटना स्थल पर मौजूद थे इस संबंध में उसको दिये गये सुझाव कि घटना दिनांक को घटना स्थल पर मौजूद नहीं था । साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि घटना के समय वह ग्राम गुरीयायची में ही था यद्यपि दूसरे गांव मेवली में रहना उसके द्वारा बताया गया है किन्तु निश्चित तौर से साक्षी जो कि मूलतः ग्राम गुरीयायची का ही रहने वाला है और उसके परिवार के अन्य सदस्य ग्राम गुरीयायची में रहते हैं घटना दिनांक को वह ग्राम गुरीयायची में रहने के संबंध में

उसके द्वारा किये गये कथन अविश्वसनीय नहीं माने जा सकते । अन्य साक्षी अजमेरसिंह आ०सा०-6 के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन का जहां तक प्रश्न है उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन भी अखंडनीय रहे हैं । साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो और इसी रंजिश के कारण उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हों ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है ।

12- अभियोजन साक्षी पृथ्वीराज आ०सा०-4 जो कि फरियादी का पिता है उसके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में घटना दिनांक को रिश्तेदारी से शाम को 10-11 बजे लौटकर आना और उसके लौटने पर फरियादी लालू के द्वारा उसे घटना के बारे में बताया गया था । उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु घटना के उपरांत उसे घटना के संबंध में फरियादी के द्वारा बताया गया था और उसके आने के पश्चात भी घटना की रिपोर्ट लिखाई गई है जैसा कि इस संबंध में फरियादी के कथन से स्पष्ट है । ऐसी दशा में आंशिक रूप से घटनाक्रम की पुष्टि उक्त साक्षी के कथन से होती है ।

13- प्रकरण के विवेचना अधिकारी नाथूराम आ०सा०-5 ने घटना स्थल का नक्शामौका प्र०पी०-3 प्रमाणित किया जाना तथा फरियादी लालूसिंह तथा साक्षी अजमेरसिंह, पृथ्वीराज और कोमल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताया है । साक्षी के द्वारा विवेचना की कार्यवाही किसी प्रकार प्रभावित होकर की गई ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता है ।

14- बचाव अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि फरियादी एवं आरोपी के मध्य पूर्व से रंजिश चली आ रही है जिसके कारण आरोपीगण को घटना में झूठा लिप्त किया गया है इसके अतिरिक्त अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि घटना में बताये गये दोनों चक्षुदर्शी साक्षी कोमल आ०सा०-2 तथा अजमेर आ०सा०-6 फरियादी के रिश्तेदार हैं उक्त साक्षी ग्राम गुरियायची में निवास भी नहीं करता है । ऐसी दशा में उक्त साक्षी हितबद्ध होकर साक्ष्य कथन कर रहे हैं फरियादी के कथन की संपुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन से नहीं होती है ।

घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक को भी ना लिखाकर दूसरे दिन लेखबद्ध कराई गई है । इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से की गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है । इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी हरीसिंह वा०सा०-1 का परीक्षण कराया गया है ।

15- बचाव साक्षी हरीसिंह वा०सा०-1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि दिनांक 27-3-09 को उनके सामने कोई झगडा नहीं हुआ केस फर्जी तौर से बनाया गया है पृथ्वीराज के सगे भाई अजमेरसिंह ग्राम नेवली में रहते हैं ग्राम

गुरीयायची में नहीं रहते हैं । प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि पृथ्वीराजसिंह के यहां कोमल और अजमेर आते जाते रहते हैं । प्रतिपरीक्षण में इस बात को भी स्वीकार किया है कि वह हरवक्त घर में नहीं रहता है इस कारण वह यह नहीं बता सकता कि झगडा हुआ था या नहीं तथा यह भी बताया है कि उसकी आंखे 4-6 साल से खराब है मामूली दिखाई देता है । इस प्रकार बचाव साक्षी के कथन के आधार पर कि घटना दिनांक को कोई घटना ही घटित नहीं हुई तथा वर्तमान प्रकरण झूठा बनाया गया है यह तथ्य मान्य नहीं किया जा सकता ।

16— बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार कि साक्षी अजमेरसिंह एवं कोमलसिंह जो कि पृथ्वीराजसिंह के सगे भाई है व अन्य ग्राम नेवली में रहते हैं किन्तु उक्त साक्षी जो कि पृथ्वीराजसिंह के सगे भाई है गांव गुरीयायची उनका आना जाना बना रहता है और घटना के समय वह ग्राम गुरीयायची में मौजूद होना अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित है । जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है फरियादी के द्वारा स्पष्ट तौर से बताया गया है कि उसके पिता घटना दिनांक को घर में नहीं थे रात को पिता लौटकर आये थे जैसा कि साक्षी पृथ्वीराजसिंह के द्वारा इस संबंध में किये गये कथनों से स्पष्ट है ऐसी दशा में पिता के आने के बाद से फरियादी रिपोर्ट करने दूसरे दिन गया हो और उसके द्वारा लिखित रिपोर्ट की गई है जो कि दिनांक 28-3-09 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2 की कायमी की गई है । ऐसी दशा में फरियादी के द्वारा इस संबंध में बताये गये कारणों के परिप्रेक्ष्य में तथा घटनाक्रम के संबंध में फरियादी व अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों के परिप्रेक्ष्य में घटना घटित होने की पुष्टि होती है । ऐसी दशा में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट कुछ विलंब से दर्ज कराई गई है तो यह अभियोजन प्रकरण की अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता । फरियादी एवं साक्षीगण के आपस में संबंधी होने का जहां तक प्रश्न है यद्यपि यह सत्य है कि फरियादी एवं साक्षी एक ही परिवार के सदस्य है किन्तु मात्र इस आधार पर कि वह एक ही परिवार के हैं उनकी साक्ष्य को जब तक कि इस संबंध में कोई विपरीत तथ्य ना आये अमान्य करने का कोई आधार नहीं हो सकता । ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि फरियादी एवं साक्षीगण आपस में संबंधी हैं अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय व बनावटी मानने का कोई आधार नहीं हो सकता ।

17— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपीगण घटना स्थल पर मौजूद थे और उन्होंने घटना स्थल जो कि फरियादी के घर के दरवाजे के बाहर आम रास्ते के चवूतरे जो कि आम रास्ता के पास स्थित है कि होनी बताई गई है

जहां पर कि आरोपीगण के द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये गये जो फरियादी तथा अन्य साक्षीगण के द्वारा सुने गये हैं और उन्हें इससे क्षोभ कारित होना स्वभाविक है । इसके अतिरिक्त घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल पर फरियादी लालू को मारपीट कर उपहति कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि आहत का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ है किन्तु धारा 321 भा०द०सं० की परिधि में फरियादी को बताई गई उपहति आती है जो कि फरियादी को लात घूसों से मारपीट कर उपहति कारित करना प्रमाणित है । उक्त उपहति आरोपीगण के द्वारा स्वेच्छया कार्य करते हुये की जानी भी प्रमाणित है । आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में कार्य करते हुये आहत को उपरोक्त उपहति जो कि रामवीर के द्वारा लात घूसों से इस दौरान मारपीट फरियादी की जानी भी प्रमाणित है ।

18— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपी रामवीर को धारा 294, 323 एवं अन्य आरोपीगण को धारा 294, 323/34 भा०द०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध पाये जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक भूल या त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती बल्कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य का उचित रूप से विचार एवं मूल्यांकन करते हुये दोषसिद्धी आदेश पारित किया गया है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

19— जहां तक आरोपीगण के अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिरोपित किये गये दण्ड का प्रश्न है इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 294 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोपीगण को 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है जो कि आरोपी रामवीर को धारा 323 तथा शेष आरोपीगण को धारा 323/34 भा०द०सं० के अंतर्गत एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है तथा न्यायालय उठने तक की सजा से भी दण्डित किया गया है । आरोपीगण के द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा भुगती जा चुकी है । अर्थदण्ड की राशि का जहां तक प्रश्न है आरोपीगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि अपराध की प्रकृति एवं तथ्यों परिस्थितियों में अत्यधिक होनी नहीं कही जा सकती बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सम्यक रूप से विचार करते हुये उक्त अर्थदण्ड की राशि आरोपीगण पर अधिरोपित की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिये गये दण्डादेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने या फेरबदल करने का कोई आधार नहीं है ।

20— तदनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश

दिनांक 8-8-13 स्थित रखा जाता है । अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड